भण्डारण करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं । इस सेवा के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम भण्डारण प्रभार होता है । अपनी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भण्डारण निगम ने जून, 1992 के दौरान तीन निजी कम्पनियों के साथ 6,14,574 वर्ग फुट क्षेत्र के अपने भाण्डागारों में उनकी वस्तुओं उत्पादों का भण्डारण करने के लिए विशेष करार किए थे । यह व्यवस्था की गई है कि यद्यपि गोदाम कम्पनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे लेकिन इन गोदामों की सुरक्षा की व्यवस्था केंद्रीय भण्डारण निगम द्वारा की जाएंगी । गोदामों में दोहरे ताले की प्रणाली के अधीन स्टाक रखा जाएगा जिसमें से एक चाबी केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास और दूसरी चाबी जमा-कर्ताओं के पास रहेगी । स्टाक का बीमा करवाने और हिसाब-किताब रखने की व्यवस्था कम्पनी द्वारा स्वयं की जाएगी । ऐसी भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध करने से निगम 12,46,690 रुपये प्रति मास अर्जित कर सका है । निगम ने इस विशेष योजना में अन्य कम्पनियों में भी दिलचस्पी पैदा करने की योजना बनाई है । उपर्युक्त के अनुसार गोदामों का इस्तेमाल करने की इजाजत देते समय निगम द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है कि खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए भण्डारण स्थान की कमी न हो ।

उत्तर प्रदेश में नए चीनी मिल स्थापित किया जाना

6075. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश से नए चीनी मिल की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के प्रस्ताव के संबंध में 31 मार्च, 1994 तक कोई आशय-पत्र जारी किया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से 31-3-1994 तक 306 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ग) चीनी वर्ष 1993–94 के दौरान 31 मार्च, 1994 तक उत्तर प्रदेश राज्य में 25 आशय-पत्र जारी किए गए हैं ।

नष्ट हुए खाद्यान्नों की मात्रा

6076. **श्रीमती सुषमा स्वराज** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण तथा लाने-ले-जाने के दौरान भारी मात्रा में खाद्यान्न नष्ट किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991–92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्न नष्ट हुए और निगम की आर्थिक लागत '(इकोनॉमिक कॉस्ट) के आधार पर की गई गणना के अनुसार नष्ट हुए खाद्यान्नों की लागत कितनी थी ;

(ग) क्या सरकार नष्ट हुए खाद्यानों की इस मात्रा को उपयुक्त मानती है ;

(घ) यदि हां, तो, इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और;

(ङ) यदि नहीं, तो खाद्यान्नों की नष्ट होने वाली मात्रा में कमी लाने हेतु इन वर्षों के दौरान निगम ने क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) भारतीय खाद्य निगम के परिचालनों की विशलता को देखते हुए